<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांक-16.04.2021</u>

<u>19 पेटी हरियाणा निर्मित देशी शराब, 200 पव्वें अपमिश्रित जहरीली शराब (कीमत करीब 01 लाख रुपये) मय एक महिन्द्रा एक्सयूवी गाड़ी सहित थाना रामघाट पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर गिरफ्तार।</u>

अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगण के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्रीमती भारती सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 15/16.04.2021 की रात्रि में थानाप्रभारी रामघाट श्री वीरेंद्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा गश्त एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम पेसरी झाल से एक महिन्द्रा एक्सयूवी गाड़ी में सवार दो शराब तस्करों को हरियाणा निर्मित 19 पेटी देशी शराब व 200 पव्वें अपमिश्रित जहरीली शराब सहित समय करीब रात्रि 02.00 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 01 लाख रुपये है। गिरफ्तार अभियुक्तगण अपने एक फरार साथी के साथ मिलकर उपरोक्त शराब की पेटियों को हरियाणा से कम कीमत पर तस्करी कर ला रहे थे जो संभवतः आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के अवसर पर सम्भावित प्रत्याशियों एवं आस-पास क्षेत्र में लोगों को अधिक कीमत पर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तस्करी कर ला रहे थे। अभियुक्तों के फरार साथी की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-</u>

1. राहुल पुत्र वीरी सिंह निवासी ग्राम पेसरी थाना रामघाट बुलन्दशहर।
2. सोनू पुत्र वीरी सिंह निवासी उपरोक्त।

<u>बरामदगी-</u>

1- 19 पेटी देशी शराब हरियाणा संतरा रंगीला मार्का

2- 200 पव्वें अपमिश्रित जहरीली शराब

3- एक महिन्द्रा एक्सयूवी गाड़ी नं0 यूपी-16एएच-1505

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना रामघाट पर मुसअं-61/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 एवं 273 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।